न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 177–तीन/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 31–12–13 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 1212/अ–6/2011–12 अपील.

अनिल कुमार जैन तनय नंदराम जैन,
निवासी महावीर टॉकीज के पास,
गल्ला मंडी, टीकमगढ़, म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

1– मध्यप्रदेश शासन
2– लटोरा तनय अधरा चमार,
नि0 ग्राम अंनतपुरा, तह0 एवं
जिला टीकमगढ़, म0प्र0

— अनावेदकगण

श्री रामबाबू दुबे, अभिभाषक – आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 20·5· 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 1212/अ–6/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क0–2 लटोरा को ग्राम अनंतपुरा की शासकीय भूमि खसरा नं0 266 रकबा 3.71 एकड़ एवं खसरा नं0 563 रकबा 1.23 एकड़ का अस्थाई पट्टा दिनांक 2–11–1973 को स्वीकृत किया गया जिसे दिनांक 23–10–1981 को स्थाई किया गया। कलेक्टर, टीकमगढ़ से विक्रय की अनुमति प्राप्त कर आवेदक अनिल कुमार जैन व्दारा भूमि खसरा नं0 563 जुज रकबा 0.498 पंजीयक विक्रयपत्र दिनांक 31–10–81 से अनावेदक क0–2 लटोरा से खरीदी गयी। राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होने के बाद आवेदक अनिलकुमार व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ से डायवर्सन की स्वीकृति दिनांक 6–12–82 को प्राप्त करने के बाद कुछ भूमि का विक्रय किया गया और शेष भूमि अपने पास रखी।

3/ कलेक्टर, टीकमगढ़ ने वर्ष 1981–82 में प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबध्द करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 5–9–1992 व्दारा प्रश्नाधीन भूमियॉं म0प्र0शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 5–9–94 व्दारा खारिज की। राजस्व मण्डल के समक्ष मोहम्मद इलयाल तथा अन्य 2 तथा अनिलकुमार तथा अन्य 4 व्दारा पृथक–पृथक निगरानियॉं प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02–02–1996 व्दारा निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये गये। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश में यह निर्धारित किया है कि अगर कलेक्टेट के लिये भूमि की आवश्यकता थी तो उसे एक्यूजीशन का ही विकल्प था। लटोरा व्दारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–9–94 के विरूध्द राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत निगरानी म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग ने अपने आदेश दिनांक 25–6–97 व्दारा खारिज किया। म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के आदेश के विरूध्द अनिल कुमार व्दारा रिट याचिका क0 748/1998 प्रस्तुत की गयी।

मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03–07–2007 व्दारा याचिका स्वीकार की गयी और म0प्र0शासन, राजस्व विभाग का आदेश निरस्त किया गया।

4/ आवेदक अनिल कुमार ने संहिता की धारा 109/110 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल तथा मान. उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि खसरा क. 563 जुज रकबा 0.498 हे. पर आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु,आवेदनपत्र तहसीलदार, टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 31–03–11 व्दारा यह आवेदनपत्र खारिज किया। आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक कमशः 9–8–2000 तथा 31–12–13 व्दारा खारिज की गयी हैं। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

5/ मैंने आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अनावेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त भी न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ।

6/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम अनंतपुरा की भूमि खसरा नं0 266 रकबा 3.71 एकड़ एवं खसरा नं0 563 रकबा 1.23 एकड़ लटोरा को दिनांक 2–11–1973 को अस्थाई पट्टे पर प्रदान की गयी तथा आदेश दिनांक 23–10–1981 व्दारा उसे स्थाई कर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये। आवेदक अनिल कुमार व्दारा कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात भूमि खसरा नं0 563 जुज रकबा 0.498 हे. रजिस्टर्ड विकयपत्र व्दारा खरीदी है जिस पर उसका पूर्व में नामान्तरण भी हो चुका था। उनका तर्क है कि कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर प्रश्नाधीन भूमियॉ शासकीय दर्ज

करने के आदेश दिये। राजस्व मण्डल व्दारा कलेक्टर के आदेश, जिसके व्दारा प्रश्नाधीन भूमियॉ शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये थे, निरस्त किये गये हैं। मान. उच्च न्यायालय व्दारा भी आवेदक की रिट याचिका स्वीकार कर म0प्र0शासन, राजस्व विभाग का आदेश निरस्त किया गया है। उनका तर्क है कि राजस्व मण्डल एवं मान. उच्च न्यायालय के आदेश के विरूध्द सक्षम न्यायालय में शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, इसलिये यह आदेश अंतिम हो चुके हैं। विकेता को भूमि विकय की अनुमति कलेक्टर व्दारा प्रदान करने के पश्चात ही आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीयत विकयपत्र से खरीदी है। उनका तर्क है कि सन 1973 में प्रश्नाधीन भूमियॉ नजूल परिसीमा क्षेत्र में नहीं आती थी, इसलिये राजस्व मण्डल को निगरानी श्रवण करने का अधिकार था। आवेदक के अभिभाषक व्दारा राजस्व मण्डल एवं मान. उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन कय की गयी भूमि पर उसका नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया।

7/ इस प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि ग्राम अनंतपुरा की शासकीय भूमि खसरा नं0 266 रकबा 3.71 एकड़ एवं खसरा नं0 563 रकबा 1.23 एकड़ का अस्थाई पट्टा दिनांक 2–11–1973 को लटोरा को स्वीकृत किया गया जिसे दिनांक 23–10–1981 को स्थाई कर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये गये। आवेदक अनिल कुमार जैन व्दारा भूमि खसरा नं0 563 जुज रकबा 0.498 पंजीयक विकयपत्र दिनांक 31–10–81 से अनावेदक क0–2 लटोरा से खरीदी गयी। राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होने के बाद आवेदक अनिलकुमार व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ से डायवर्सन की स्वीकृति दिनांक 6–12–82 को प्राप्त करने के बाद कुछ भूमि का विकय किया गया और शेष भूमि अपने पास रखी। कलेक्टर, टीकमगढ़ ने वर्ष 1981–82 में प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबध्द करने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 5–9–1992 व्दारा प्रश्नाधीन भूमियॉ म0प्र0शासन के नाम दर्ज करने के आदेश

दिये। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02–02–1996 व्दारा निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये गये। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश में यह निर्धारित किया है कि अगर कलेक्टेट के लिये भूमि की आवश्यकता थी तो उसे एक्यूजीशन का ही विकल्प था। सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 25–6–97 को रिट याचिका क0 748/1998 में मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03–07–2007 व्दारा खारिज किया गया है। मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03–07–2007 में यह निष्कर्ष निकाला है कि आर बी सी में स्वमेव निगरानी में कार्यवाही के प्रावधान नहीं है व कलेक्टर व्दारा संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत ही स्वमेव निगरानी में लेकर आदेश पारित किया गया है। ऐसी दशा में अपर आयुक्त का अपने आदेश में यह निष्कर्ष कि राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, न सिर्फ मान. उच्च न्यायालय व्दारा निकाले गये निष्कर्ष के विपरीत है, बल्कि वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवमानना की परिधि में आता है। यदि शासन राजस्व मण्डल के आदेश से असन्तुष्ट था तो उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये थी। मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विव्दान शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर यह निर्देश दिये है कि–

"However, the State shall be liberty to challenge the order Annexure P/1 in accordance with law, advised so."

मान. उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के बावजूद भी शासन व्दारा राजस्व मण्डल के आदेश के विरूध्द सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना अभिलेख से विदित नहीं होता। मान. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि –

". . . The Collector, Tikamgarh wide order Annexure P-3 dated 30th September, 1981 granted permission to respondent No.4 to sell land survey No. 563 area 1.23 acres. After getting the

Bhomiswami rights by Annexure P-18, respondent No.4 Latora executed a sale deed Annexure P-4 on 31.10.1981 in favour of the petitioner. This sale deed relates to survey No. 563 area 1.23 for which permission Annexure P-3 was granted by the Collector." मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर मान. उच्च न्यायालय व्दारा आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 563 कलेक्टर की अनुमति के पश्चात खरीदना अपने आदेश में दर्शाया गया और मान. उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से कलेक्टर की अनुमति नहीं होने संबंधी कोई आपत्ति प्रस्तुत करना मान. उच्च न्यायालय के आदेश से विदित नहीं होता। ऐसी दशा में मान. उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक व्दारा नामान्तरण का अनुरोध करने पर कलेक्टर की अनुमति पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे अमान्य करना वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों का येनकेन राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किये जाने की मंशा का द्योतक है जिसे विधि अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कलेक्टर के स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के आधार प्रश्नाधीन भूमि शासन के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित की गयी। कलेक्टर का स्वमेव निगरानी में पारित आदेश 5.9.92 राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 02–02–96 व्दारा निरस्त किया जा चुका है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्वानुसार आवेदक के नाम अंकित करना चाहिये था।

8/ उपरोक्त की गयी विवेचना के अनुसार निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 31.03.11, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31.01.12 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31.12.13 राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी प्र0क0 1092/94 में पारित आदेश दिनांक 02.02.96 एवं मान. उच्च न्यायालय व्दारा रिट पिटीशन क. 748/1998 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2007 के विपरीत होने से निरस्त किये जाते हैं। निगरानीकर्त्ता

आवेदक अनिलकुमार जैन व्दारा पंजीयत विक्रयपत्र दिनांक 31.10.1981 से क्रय की गयी भूमि खसरा नं0 563 जुज रकबा 0.498 हे. पर उसके नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0